

through a documentary film. The ban does not, therefore, in any way interfere with the secular character of our Constitution, nor can it be construed as an infringement of the freedom of the media. In fact between March 24, 1977 and November 15, 1978, as many as 185 foreign TV teams were permitted to make documentary films in India on different aspects of Indian life.

(d) No, Sir. The restrictions imposed during the Emergency were removed soon after the present Government took office. The present regulations governing the filming of documentaries in India by foreign organisations have been in force since 1971.

नासिक में टेलीफोन उद्योग स्थापित करना

785. श्री हरीशंकर महाले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक के लोग एक नये टेलीफोन उद्योग की मांग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का न्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ये प्रस्ताव छठी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक कार्यवाही किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) तथा (ख) भारत सरकार को नासिक में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का एक कारखाना लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और वहां के जन प्रतिनिधियों से अनुरोध मिले हैं। राज्य सरकार ने नासिक में नया कारखाना लगाने के लिए भूमि तथा अन्य सुविधाएं देने की पेशकश की है।

(ग) और (घ) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के दो नए कारखाने, यथा एक स्विडिंग कारखाना और एक पारेषण कारखाना लगाने के लिए वर्ष 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के मसौदे में व्यवस्था की गई है, इन दो नए कारखानों के लिए स्थान तय करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

12 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER PASSPORTS ACT

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAJEE): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of section 24 of the Passports Act, 1967:—

(1) The Passports (Second Amendment) Rules, 1978, published in Notification No. G.S.R. 466(E) in Gazette of India dated the 22nd September, 1978.

(2) The Passports (Third Amendment) Rules, 1978, published in Notification No. G.S.R. 499(E) in Gazette of India dated the 17th October, 1978.

[Placed in Library. See No. LT-2804/78].

NOTIFICATION UNDER LIMESTONE AND DOLOMITE MINES LABOUR WELFARE FUND ACT

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री- (श्री लारंग साय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1063 में प्रकाशित हुये थे।

[Placed in Library. See No. LT-2805/78].

NOTIFICATIONS UNDER INDIAN TELEGRAPH ACT.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (First Amendment) Rules, 1978 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1018 in Gazette India dated the 12th August, 1978 under sub-section (5) of section